English version of Circular letter No. 8047-4GSII-73/1549 dated the 21st January, 1974 from the Chief Secretary to Government, Haryana to all Heads of Departments etc.

Subject : **Rehabilitation of disabled ex-service personnel and dependent of those killed/disabled in action.**

I am directed to refer to the instructions contained in Haryrna Government letter No. 945-4GSII-73/6451, dated the 6th March, 1972, on the subject noted above where in it has been. inter-alia, laid down that in the existing reservatton in respeet of Civil posts for ex-servicemen; priority should be given to disabled ex-servicemen with disability between 20% to 50% and upto two dependents of service personnel killed/disabled beyond 50%.

2. A question has arisen whether such a benefit should be allowed in the case of those servicemen who are not boarded out of service by the Defence department on account of their disability but are released in the normal course are released after the completion of their terms and considered and it has been decided that such servicemen and their dependents are not entitled to the priority for filling up civil posts as envisaged in the instructions dated 6-3-1972, referred to above.

3. It is requested that these instructions may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance and the receipt of this letter may also be acknowledged.

संख्या 8047-4 जी0एस0-II-73/1549.

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त और सभी उपायुक्त।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक चण्डीगढ़, 1-1-1974

विषय :—विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए/विकलांग सैनिकों के आश्रितों का पुनर्वास।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 945-4 जी0एस0-II-73 6451 दिनांक 6 मार्च, 1972 में दिए गए अनुदेशों की ओर दिलाऊं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्धारित किय गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल पदों के सम्बन्ध में वर्तमान आरक्षण में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच अशक्त हो गए विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा मारे गए 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग हुए सैनिकों के दो आश्रितों को प्राथमिकत दी जानी चाहिए।

2. प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसा कोई लाभ उन सैनिकों जो अपनी अशक्तता के कारण सुरक्षा विभाग द्वार अशक्त होने पर सेवा से पृथम नहीं किए गए किन्तु जिन्हें यथा/समय अथवा सेना में रोजगार की शर्तों को पूरा करने के पश्चात मुक्त कर दिया गया है के मामले में दिया जाना चाहिए। इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सैनिक तथा उनके आश्रित सिविल पदों में भर्ती के लिए प्राथमिकता के हकदार नहीं हैं। जैसा कि उपर्युक्त संदर्भ में दिनांक 6-3-1972 के अनुदेशों में उल्लिखित है।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया ये अनुदेश सख्ती से पालन करने के लिये सभी सम्बन्ध के ध्यान में लाए जाएं तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति :—

वित्त आयुक्त, राजस्व हरियाणा, हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।